अध्याय - 5

मोटर वाहन कर

5.1 कर प्रबंधन

परिवहन विभाग के अध्यक्ष प्रधान सचिव व आयुक्त (परिवहन) है जो कि इसके प्रबंधन के लिए रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रति उत्तरदायी है । मोटर लाइसेंसिग अधिकारी की देखरेख में सभी 13 क्षेत्रीय कार्यालयों के सामान्य पर्यवेक्षण का कार्य परिवहन आयुक्त करता है । क्षेत्रीय कार्यालय वाहनों के पंजीकरण शुल्क, परमिट शुल्क, सडक कर, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने इत्यादि से राजस्व संग्रह करते है ।

5.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान वाहनों के करों से वास्तविक प्राप्तियों के साथ-साथ उसी अवधि के दौरान राज्य की कुल कर/गैर-कर प्राप्तियों को **तालिका 5.1** तथा ग्राफ में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.1 : राजस्व प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान (ब.अ.)	वास्तविक प्राप्तियाँ	विभिन्नताएं आधिक्य (+)/कमी (-)	विभिन्नताओं की प्रतिशतता	राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति	वास्तविक प्राप्तियों के साथ-साथ कुल कर प्राप्तियों की प्रतिशतता
वाहनों पर कर	2007-08	463.00	420.20	(-) 42.80	(-) 9.24	11782.80	3.57
	2008-09	500.00	419.12	(-) 80.88	(-) 16.18	12180.70	3.44
	2009-10	530.00	462.65	(-) 67.35	(-) 12.71	13447.86	3.44
	2010-11	575.00	707.55	(+) 132.55	(+) 23.05	16477.75	4.29
	2011-12	799.97	1049.19	(+) 249.22	(+) 31.15	19971.67	5.25

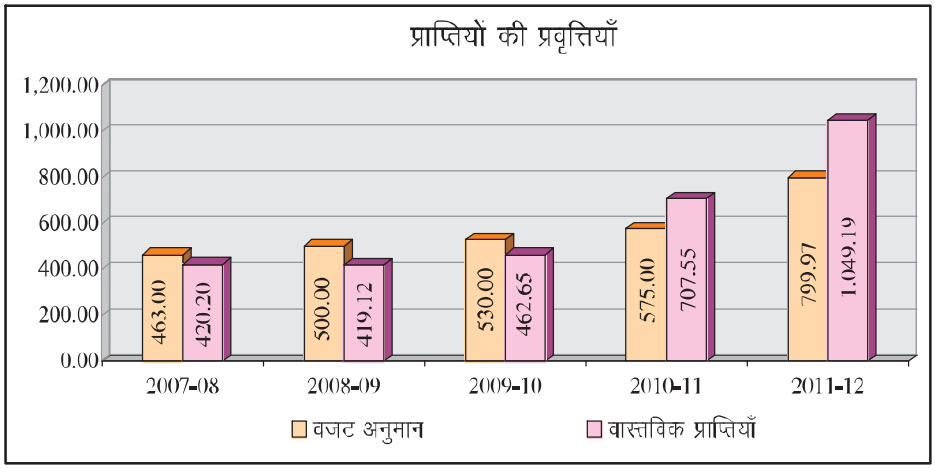

यह पाया गया कि बजट अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियों में विभिन्नताएँ 2007-08 के दौरान कम से कम ₹ (-) ₹ 42.80 करोड और 2011-12 के दौरान अधिक से अधिक ₹ 249.22 करोड़ थी ।

5.3 संग्रहण की लागत

वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान अन्य कर तथा गैर-कर प्राप्तियों के सकल संग्रहण, उनके संग्रहण पर किया गया व्यय तथा ऐसे व्यय की सकल संग्रहण से प्रतिशतता के साथ-साथ संग्रहण पर हुए व्यय से संबंधित अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता **तालिका 5.2** मे दर्शायी गई है:

तालिका 5.2 : संग्रहण की लागत

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 2010-11 के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
वाहनों पर कर	2009-10	462.65	18.96	4.10	3.71
	2010-11	707.55	19.34	2.73	
	2011-12	1049.19	31.79	3.03	

उपरोक्त तालिका से यह पता चलता है कि मोटर वाहनों पर करों के संग्रहण पर हुए व्यय का प्रतिशत वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशत की तुलना में कम था ।

5.4 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग के पास अपना कोई आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र नहीं था । रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के लेखापरीक्षा निदेशक को परिवहन विभाग सहित रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों का आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य सौंपा गया है ।

5.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011-12 के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच में सरकारी लेखों में ₹ 8.93 करोड़ के राजस्व के अहस्तांतरण का एक मामला पाया गया जो कि निम्नलिखित श्रेणी के अंतर्गत आता है, जिसे **तालिका 5.3** में दर्शाया गया है:

तालिका 5.3 : श्रेणीवार मामले

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की सं.	राशि
	मोटर वाहन कर		
1.	सरकारी लेखे में राजस्व का अहस्तांतरण	1	8.93
2.	अन्य	42	00
	कुल	**43**	**8.93**

₹ 8.93 करोड़ वाले मामले की निम्नलिखित अनुच्छेद में चर्चा की गई है ।

5.6 अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के राजस्व प्राप्ति संबंधित अभिलेखों की जाँच में अधिनियम/नियमों के प्रावधानों का अनुसरण नहीं करने के परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व के अहस्तांतरण का एक मामला पाया गया जो कि इस अध्याय के अनुवर्ती अनुच्छेद में शामिल किया गया है । यह मामला एक दृष्टांत है और लेखापरीक्षा में नमूना जाँच पर आधारित है । अतः सरकार को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को बेहतर बनाने की आवश्यकता है ताकि इस प्रकार के मामलों के गठित होने से बचा जा सके ।

5.7 ₹ 8.93 करोड के राजस्व का सरकारी लेखों में स्थानांतरित न किया जाना

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 7 के अनुसार, सरकार द्वारा या उसके पक्ष में प्राप्त की गई सभी प्रकार की धनराशि चाहे वह जमा के रूप में हो या बकाया, धन प्रेषण हो या अन्य, अविलम्ब सरकारी खाते मे जमा करानी चाहिए । केन्द्रीय सरकारी लेखे (प्राप्ति एवं भुगतान) नियमावली 1983 के नियम 6 के अनुबंध के अनुसार सभी सरकारी प्राप्तियां पूर्णतया अविलंब सरकारी लेखे में शामिल करने के लिए विर्निष्ट बैंक में जमा होनी चाहिए । आगे यह भी अनुबंधित है कि उपरोक्त प्राप्त राशि ना तो सरकारी खातों से अलग रखी जाए, ना ही अन्य विभागीय खर्चों में व्यय की जाए ।

11 फरवरी 2008 को रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि अम्बेडकर नगर से मूल चन्द के बीच बस रैपिड ट्रांजिट (बी.आर.टी.) कॉरीडोर के संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेवारी मैसर्स दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम लिमिटेड (डीआईएमटीएस) को खुली निविदा की शर्तों का पालन किए बगैर नामांकन आधार पर सौंप दी जाए । इस परिप्रेक्ष्य में, सरकार के अनुमोदन के लिए डीआईएमटीएस द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें बस क्यू शेल्टर, जन सुविधाओं इत्यादि पर विज्ञापन से प्राप्त राजस्व का किए गए व्यय में समायोजन होगा । इस बैठक का कार्यवृत्त परिवहन विभाग द्वारा नहीं बल्कि डीआईएमटीएस द्वारा बनाया और वितरित किया गया । इस कार्यवृत्त की परिवहन विभाग से स्वीकृति भी अभिलेखों में नहीं पाई गई ।

रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के परिवहन आयुक्त के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जाँच में लेखापरीक्षा ने पाया (मार्च 2012) कि उक्त बैठक में लिए गए निर्णय को औपचारिक संधि में नहीं बदला गया, न ही मैसर्स डीआईएमटीएस को कार्य की सुपुर्दगी का निर्धारण करने वाले नियमों और शर्तो का निर्धारण और उन पर परस्पर सहमति हुई थी । डीआईएमटीएस प्रभावी रूप से अप्रैल 2008 से बीआरटी कारीडोर के संचालन व रखरखाव की देखरेख कर रहा है और 2008-11 की अवधि के दौरान बीआरटी कॉरीडोर में बस क्यू शेल्टरों से विज्ञापन राजस्व से ₹ 8.93 करोड़ की धनराशि का संग्रहण किया । डीआईएमटीएस ने इस राशि को सरकारी खाते में जमा नहीं कराया, बल्कि फरवरी 2008 की बैठक में लिए गए निर्णय की दलील के आधार पर कॉरीडोर के संचालन और रखरखाव के व्ययों में समायोजित कर दिया ।

इस प्रकार ₹ 8.93 करोड का सरकारी राजस्व सरकारी खातो से बाहर रहा, क्योंकि डीआईएमटीएस ने स्वयं द्वारा संग्रहित की गई राशि को सरकार के पक्ष में जमा नहीं कराया ।

यह इंगित किए जाने पर विभाग ने डीआईएमटीएस से प्राप्त उत्तर की प्रति अग्रेषित की जिसमें बताया गया था कि 11 फरवरी 2008 को मुख्य सचिव, जीएनसीटीडी के कार्यालय में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार डीआईएमटीएस को बीआरटी कॉरीडोर के संचालन व रखरखाव हेतु वास्तविक व्यय में से विज्ञापनों से उत्पन्न राजस्व को घटाकर प्रतिपूर्ति दी जानी थी । यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सरकार द्वारा डीआईएमटीएस को सरकारी राजस्व को व्यय के प्रति समायोजित करने देने की अनुमति देना निर्दिष्ट प्राप्ति व भुगतान नियमावली के प्रावधानों के अनुसार नहीं है ।

लेखापरीक्षा ने यह मामला सरकार को सितम्बर, 2012 में सूचित किया, उनका उत्तर प्रतिक्षित था ।